

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 04, सोमवार, शाके 1947- फरवरी 23, 2026 Phalguna 04, Monday, Saka 1947- February 23, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

संख्या:22/भू.अ./ज.स./2023/202-206:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना (एन.जी.बी. लिंक पैकेज।।।) के अन्तर्गत गलवा पंप हाऊस एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तक फीडर निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. टॉक प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नैनवा/अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली होंगे।

विवरण

रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाऊस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) में आने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत विवरण-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	रामगढ़ एवं महलपुर	भैरुपुरा	गंभीरा	नैनवा	बुन्दी	उपखण्ड अधिकारी (नैनवाली)
2	बैराज और नवनेरा-	पांडोला	सुवानिया			
3	गलवा-बीसलपुर-ईसरदा	धानुगांव	सुवानिया			

लिंक परियोजना के

4		सुंथली	सुवानिया			
5		बालागढ़	बालुन्दा	नगरफोर्ट	टोंक	
6		बालुन्दा	बालुन्दा			
7		सतवाडा	बालुन्दा			
8		गुराई	गुराई			
9		खेडा बालाजी	गुराई			
10		रायपुरा	गुराई			
11		संग्रामपुरा	गुराई			
12		गुलाबपुरा	ख्वासपुरा	दूनी		
13		राजेन्द्रपुरा	ख्वासपुरा			
14		रामपुरा	ख्वासपुरा			
15		चकआंवा	ख्वासपुरा			
16		कनवाडा	कनवाडा			
17		संग्रामगंज	टोकरावास			
18		टोंकरावास	टोकरावास			
19		बुन्दी टोकरावास	टोकरावास			
20		उनियारा ठिकरियाकलां	चन्दवाड			
21		बांस लक्ष्मणा	पनवाड़	देवली		

अतिरिक्त
कलेक्टर (पुनर्वास
एवं भूमि अवाप्ति
अधिकारी
बीसलपुर
परियोजना
देवली)

फार्म-2

देखे नियम-5

पार्ट -B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबंधक आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तहसील नैनवा जिला बुन्दी एवं तहसील

		दूनी, देवली, नगरफोर्ट जिला टोंक योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल 516.227 हैक्ट. भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और /या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना के लिए होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिती के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आषय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जायेगी।	हा
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।